



क्षेत्रीय कार्यालय
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बी-16, आवास विकास कालोनी,
उन्नाव

फ़ोन/फैक्स-0515-2830488

पत्रांक सं०- 1243/N.O.C./653/15

दिनांक- 14.08.15

सेवा में,

मेसर्स आई० टी० सी० लिमि० (ए०बी०डी०) (बी०पी०सी०एल० रिटेल आउटलेट),
गाटा संख्या-659, ग्राम-कुरिया,
शाहाबाद रोड, जनपद-हरदोई।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से रिटेल आउटलेट भण्डारण हेतु नई इकाई की
स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक-08.08.2015 एवं 31.08.2015 का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है, तथा अवगत हों कि रिटेल आउटलेट भण्डारण हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नकों) के साथ स्थापना से पूर्व सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

(1) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है-

- | | |
|----------------------------------|---|
| (क) स्थल | - गाटा संख्या-659, ग्राम-कुरिया, शाहाबाद रोड, जनपद-हरदोई |
| (ख) उत्पादन | - पेट्रोलियम भण्डारण एवं रिटेल
डीजल भण्डारण-20 किलो लीटर
पेट्रोल भण्डारण-15 किलो लीटर |
| (ग) मुख्य कच्चा माल/रसायन | - पेट्रोल - 15 किलो लीटर
डीजल - 20 किलो लीटर |
| (घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा | - शून्य |
| (ङ) प्रयुक्त ईंधन व उसकी मात्रा | - डीजल आवश्यकतानुसार 15 के.वी.ए. डी.जी. सेट हेतु |

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

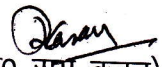
- (2) घरेलू बहिःश्राव जिसकी मात्रा 0.5 किली०/दिन से अधिक न होगी, को सेप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप शुद्धिकृत करके निस्तारित किया जायेगा।

(2)

- (3) उत्पादन प्रक्रिया में जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- (4) उत्पादन प्रक्रिया में जल का उपयोग कूलिंग/वाशिंग/मिक्सिंग आदि में नहीं किया जायेगा।
- (5) इकाई द्वारा उत्पादन प्रक्रिया तथा सहयोगी प्रक्रियाओं में ईंधन का प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार का वायु उत्सर्जन किया जायेगा।
- (6) 15 के.वी.ए. डी0जी0 सेट पर एकास्टिक इन्क्लोजर स्थापित किया जाये एवं सम्बद्ध एक्जास्ट की ऊँचाई भवन छत से 1.5 मी0 ऊपर रखी जायेगी।
- (7) इकाई परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार पर्याप्त हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा।
- (8) इकाई की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाये कि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा कोई भी क्रिया-कलाप जनहित के प्रतिकूल नहीं किया जायेगा।
- (9) अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जायेगी तथा ट्रायल उत्पादन से दो माह पूर्व सहमति जल/वायु हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर दिया जायेगा।
- (10) एक्सप्लोसिव विभाग एवं कारखाना विभाग का लाइसेन्स प्राप्त करके तीन माह में जमा करें।
- (11) मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 के पत्र दिनांक-13.02.2006, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, हरदोई के पत्र दिनांक-11.07.2015 में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक-15.09.2016 तक वैध है। शर्तों के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त (रिवोक) किया जा सकता है।

भवदीय


(डा0 राम करन)

क्षेत्रीय अधिकारी

तद्दिनांक

पृ0 सं0

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित है।

/
क्षेत्रीय अधिकारी